प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / आशा सम्मेलन / 2016–17 / 04 वाल्यूम 2 / 4252-75 दिनांकः 01.08.2016

विषयः 23 अगस्त, 2016 को आशा सम्मेलन मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी आशा योजना लागू किये जाने के वर्षगांठ 23 अगस्त, 2016 को आशा दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में जनपद स्तर पर आशा सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इन सम्मेलनों में आशाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देने के साथ–साथ प्रत्येक ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ आशा को सम्मानित भी किया जायेगा। आशा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुदाय में आशा की भूमिका को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाना है। आशाओं को इस बात का एहसास दिलाना है कि प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाने तथा समुदाय को प्रेरित करने में उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

आशा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली जनपदीय सम्मेलनों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश इस परिपत्र में दिये जा रहे हैं जिनके आधार पर कार्यवाही की जानी है।

आशा दिवस / सम्मेलन की रूपरेखा

जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले इस एक दिवसीय सम्मेलन में मुख्यतया आशाओं को उनके कार्य के बारे में जानकारी देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना एवं विगत वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यो के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित सर्वोत्तम आशा को पुरस्कार दिया जाना सम्मिलित है। इस सम्मेलन का प्रस्तावित रूप रेखा दिशा निर्देश में उपलब्ध है जिसके आधार पर जनपदीय आशा नोडल अधिकारी, जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ मिलकर अपने जनपद के लिये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे।

आशा सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये जनपद के प्रभारी मंत्री अथवा जिला परिषद के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

आशा सम्मेलन हेतु आमंत्रण

1. यह सुनिश्चित किया जाय कि आशा सम्मेलन में कम से कम 90 प्रतिशत आशाओं एवं समस्त आशा संगिनी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये (इस सम्बन्ध में आवंटित बजट को भी ध्यान में रखा जाय)। प्रत्येक उपकेन्द्र से कम से कम एक आशा अवश्य भाग ले। इस वर्ष भी आशा को सम्मेलन स्थल तक आने व जाने के लिये रू0 50 / – प्रति आशा की दर से परिवहन भत्ता दिया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से दो–दो ए0एन0एम0 व दो–दो प्रधानों को बुलाया जाये तथा इनमें महिला प्रधानों को प्राथमिकता दी जाय। आशा सम्मेलन में रीजनल आशा को–ऑर्डिनेटर भी अवश्य प्रतिभाग करेंगे। इस कार्य में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक एवं ब्लॉक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाय तथा सम्मेलन में आशाओं के साथ ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक एवं ब्लॉक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी प्रतिभाग करें।

2. मुख्य अतिथि के अलावा जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त विकास कार्यक्रमों से जुड़े हुए जिला स्तरीय अधिकारी (विशेषतया पंचायतीराज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास विभाग आदि) को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया जाय। जनपद आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों को भी प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाय। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अधिकारी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। जनपद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।
3. आशा सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु मण्डल स्तरीय अधिकारी यथा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संयुक्त निदेशक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं आशा रीजनल को–ऑर्डिनेटर को भी आमंत्रित किया जायेगा। राज्य स्तर पर महानिदेशक परिवार कल्याण को सम्मेलन की तैयार के विषय में जानकारी व आमंत्रण भेज दें। मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को आशा सम्मेलन के लिये की गयी तैयारियों से अवश्य अवगत करा दिया जाये जिससे वह अपने स्तर से सम्मेलन की समीक्षा कर सकें।

पुरस्कार हेतु आशा का चयन

वित्तीय वर्ष 2015–16 में **आशाओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गये कार्यों** के आधार पर दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड से सर्वोत्तम आशा को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित प्रति ब्लॉक की **सर्वश्रेष्ठ, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त आशाओं की सूची स्वास्थ्य केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय**।

सर्वोत्तम 3 आशाओं का चयन सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक की सर्वसम्मति से निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा :

तालिका–1

सर्वश्रेष्ठ कार्य के मानक–

क्र0सं0	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशत
1	आशा द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 600/– प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या	
3	आशा के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	
	उपर्युक्त तीनों मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

1. **आशा द्वारा क्षेत्र से संस्थागत प्रसव कराना**

क = आशा के सहयोग से कराये गये **संस्थागत** प्रसव की संख्या × 1000/जनसंख्या

ख = प्रति हजार सम्भावित प्रसवों की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)

प्रतिशत = क×100/ख

2. **आशा के गाँव में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे**

क = गाँव में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या×1000 / जनसंख्या

ख = प्रति हजार सम्भावित पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर) प्रतिशत = क×100 / ख

3. **स्थायी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग हेतु प्रेरणा–**

आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत **अपने कार्यक्षेत्र** में स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित लाभार्थियों की संख्या × 100/10

उपरोक्त लाभार्थियों के नाम, सम्बन्धित आशा के ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (आशा डायरी) के सर्वे में अंकित होना चाहिए।

उदाहरण–आशा राधा देवी, जनपद–पीलीभीत, ब्लॉक–बीसलपुर के ग्राम पिपरिया में कार्यरत् है, जिसकी आबादी 1600 है। पीलीभीत की जन्मदर 30 प्रति हजार है। राधा देवी द्वारा वर्ष 2015–16 में 12 संस्थागत प्रसव कराने हेतु सहयोग प्रदान करने के सापेक्ष मात्र 8 में प्रोत्साहन राशि 600 रू0 प्राप्त हुई है। वर्ष 2015–16 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 27 है। राधा देवी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु एक पुरूष व तीन महिलाओं को प्रेरित किया गया। राधा देवी के औसत प्रतिशत की गणना निम्न अनुसार की जायेगी–

1. संस्थागत प्रसव–(8×1000) / 1600=5 प्रति हजार
   प्रतिशत=(5×100) / 30=16.66%
2. ग्राम पिपरिया में कुल 0–1 वर्ष तक के पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या–(27×1000) / 1600=16.87
   टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत–(16.88×100) / 30=56.26%
3. परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत–4×100 / 10=40%
4. औसत प्रतिशत–(16.66+56.26+40) / 3=37.64%

प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार औसत प्रतिशत के आधार पर ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ आशा का चयन कर विवरण सहित अपनी संस्तुति मुख्य चिकित्साधिकारी को दी जायेगी। जिनके द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में विकास खण्डवार सर्वोत्तम आशा के चयन पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इन आशाओं को सम्मेलन में अवश्य आमंत्रित किया जाय एवं उन्हें सम्मेलन के दौरान पुरस्कार वितरित किये जाये। प्रत्येक ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ आशा को प्रमाण पत्र एवं रू0 5000 की धनराशि चेक द्वारा वितरित की जायेगी। आशा अवार्ड की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी1.1.4 के अंतर्गत सभी जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त औसत प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक ब्लाक की द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली आशाओं को भी पुरस्कृत करने का प्राविधान है। जिसके अन्तर्गत क्रमशः रू0 2000/–एवं रू0 1000/– की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी, जिसे आशा सम्मेलन हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी1.1.3.7.1 अनुमन्य धनराशि में से व्यय किया जायेगा।

<u>आशा सम्मेलन हेतु वित्त व्यवस्था</u>

जनपदीय आशा सम्मेलनों के लिये आयोजन पर होने वाले अनुमन्य व्यय का विवरण निम्नवत् है। इस कार्यक्रम के लिये अवमुक्त धनराशि का व्यय नीचे दी गयी तालिका में अंकित निर्धारित सीमा से अधिक न किया जाय।

<u>अनुमन्य व्यय हेतु मानक</u>

क्र0सं0	मद	दर
1	भोजन व्यवस्था	रू 75/– प्रति आशा

2	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु	रू0 4000/–
3	सम्मेलन व्यवस्था (कुर्सी, मेज, माईक, बैनर एवं अन्य)	500 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 15000/– 750–1000 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 20000/– 1000 आशाओं से अधिक रू0 25000/–
4	आशाओं हेतु सामग्री किट फोल्डर, प्रचार–प्रसार सामग्री, पम्पलेट आदि	रू0 50/– प्रति आशा
5	आशाओं के आने–जाने हेतु	रू0 50/– प्रति आशा
6	कन्टीजेन्सी, फोटोग्राफी, वीडियो फिल्म आदि	रू0 8000/–
7	ब्लॉक की द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आशाओं हेतु पुरस्कार की धनराशि	रू0 3000/–(2000+1000=3000) FMR Code B.1.1.3.7.1 से व्यय किया जाय

सम्मेलन के आयोजन की धनराशि इस शर्त के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की जा रही है कि आयोजन के पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा धनराशि के 75 प्रतिशत का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। सम्मेलन के आयोजन के उपरान्त सम्मेलन की रिपोर्ट व्यय विवरण सहित जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत कर शेष आवश्यक धनराशि का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजन/भुगतान किया जाय।

आशा सम्मेलन के आयोजन एवं पुरस्कार हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों को निम्न तालिका अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

ASHA Sammelan 2016-17

S.I.	Districts	No. of ASHA	No. of ASHA Sangini	Total no. of ASHA & Sangini (3+4)	Amount @ Rs.250 Per ASHA	No. of Blocks	Rs. 5000 per Block (First prize)	Total Amount (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agra	2525	107	2632	658000	15	75000	733000
2	Aligarh	2565	110	2675	668750	12	60000	728750
3	Allahabad	3934	195	4129	1032250	20	100000	1132250
4	Ambedkarnagar	2135	120	2255	563750	9	45000	608750
5	Amethi	2025	84	2109	527250	13	65000	592250
6	Amroha	1277	51	1328	332000	6	30000	362000
7	Auraiya	1139	52	1191	297750	7	35000	332750
8	Azamgarh	3798	145	3943	985750	22	110000	1095750
9	Baghpat	925	47	972	243000	6	30000	273000
10	Bahraich	2872	110	2982	745500	14	70000	815500
11	Ballia	2627	128	2755	688750	17	85000	773750
12	Balrampur	1781	75	1856	464000	9	45000	509000
13	Banda	1371	63	1434	358500	8	40000	398500
14	Barabanki	2932	131	3063	765750	15	75000	840750

15	Bareilly	2613	102	2715	678750	15	75000	753750
16	Basti	2091	106	2197	549250	14	70000	619250
17	Bijnour	2763	112	2875	718750	11	55000	773750
18	Budaun	2307	107	2414	603500	15	75000	678500
19	Bulandsahr	2062	115	2177	544250	16	80000	624250
20	Chandauli	1758	80	1838	459500	9	45000	504500
21	Chitrakoot	767	43	810	202500	5	25000	227500
22	Deoria	2637	125	2762	690500	16	80000	770500
23	Etah	1343	72	1415	353750	8	40000	393750
24	Etawah	1235	65	1300	325000	8	40000	365000
25	Faizabad	2300	103	2403	600750	11	55000	655750
26	Farrukhabad	1347	75	1422	355500	7	35000	390500
27	Fatehpur	2080	93	2173	543250	13	65000	608250
28	Firozabad	1498	72	1570	392500	9	45000	437500
29	GB Nagar	700	39	739	184750	4	20000	204750
30	Ghaziabad	619	34	653	163250	4	20000	183250
31	Ghazipur	3261	158	3419	854750	16	80000	934750
32	Gonda	2867	128	2995	748750	16	80000	828750
33	Gorakhpur	3243	128	3371	842750	19	95000	937750
34	Hamirpur	994	43	1037	259250	7	35000	294250
35	Hapur	645	36	681	170250	4	20000	190250
36	Hardoi	3195	141	3336	834000	19	95000	929000
37	Hathras	1109	55	1164	291000	7	35000	326000
38	Jalaun	1243	49	1292	323000	9	45000	368000
39	Jaunpur	3731	206	3937	984250	21	105000	1089250
40	Jhansi	1134	65	1199	299750	8	40000	339750
41	Kannauj	1343	75	1418	354500	8	40000	394500
42	Kanpur Dehat	1530	85	1615	403750	10	50000	453750
43	Kanpur Nagar	1517	74	1591	397750	10	50000	447750
44	Kasganj	1035	54	1089	272250	7	35000	307250
45	Kaushambhi	1494	68	1562	390500	8	40000	430500
46	Kushinagar	3053	146	3199	799750	14	70000	869750
47	Lakhimpur Khiri	3197	156	3353	838250	15	75000	913250
48	Lalitpur	884	40	924	231000	6	30000	261000
49	Lucknow	1396	73	1469	367250	8	40000	407250
50	Maharajganj	2399	100	2499	624750	12	60000	684750
51	Mahoba	627	32	659	164750	4	20000	184750
52	Mainpuri	1406	73	1479	369750	9	45000	414750
53	Mathura	1609	75	1684	421000	10	50000	471000
54	Mau	1576	87	1663	415750	9	45000	460750

55	Meerut	1519	72	1591	397750	12	60000	457750
56	Mirzapur	1933	91	2024	506000	12	60000	566000
57	Moradabad	1996	77	2073	518250	8	40000	558250
58	Muzaffarnagar	2040	83	2123	530750	9	45000	575750
59	Pilibhit	1283	66	1349	337250	7	35000	372250
60	Pratapgarh	2737	142	2879	719750	17	85000	804750
61	Raebareli	2075	124	2199	549750	18	90000	639750
62	Rampur	1535	77	1612	403000	6	30000	433000
63	Saharanpur	2426	100	2526	631500	11	55000	686500
64	Sambhal	1598	73	1671	417750	8	40000	457750
65	Sant Kabir Nagar	1427	60	1487	371750	9	45000	416750
66	Sant Ravidas Nagar	1220	65	1285	321250	6	30000	351250
67	Shahjahanpur	2337	101	2438	09500	15	75000	84500
68	Shamli	884	43	927	231750	5	25000	256750
69	Siddharth Nagar	2154	111	2265	566250	14	70000	636250
70	Sitapur	3550	152	3702	925500	19	95000	1020500
71	Sonbhadra	1393	75	1468	367000	8	40000	407000
72	Sravasti	1003	47	1050	262500	5	25000	287500
73	Sultanpur	2300	114	2414	603500	13	65000	668500
74	Unnao	2361	130	2491	622750	16	80000	702750
75	Varanasi	1875	95	1970	492500	8	40000	532500
Total		**144160**	**6806**	**150966**	**37741500**	**820**	**4100000**	**41841500**

प्रस्तावित रूप रेखा

क्र0सं0	आयोजन बिन्दु	समय
1	आशाओं का ब्लॉकवार पंजीकरण	प्रातः 9:00–10:00 बजे तक
2	उद्घाटन	प्रातः 10:00 बजे
3	ईश्वरीय वन्दना	प्रातः 10:15 बजे
4	आशा सम्मेलन का उद्देश्य व महत्ता मुख्य चिकित्साधिकारी का सम्बोधन	प्रातः 10:30 बजे
5	उत्कृष्टता पुरस्कार	प्रातः 10:45 बजे
6	मुख्य अतिथि एवं जिला स्तरीय अधिकारियों का सम्बोधन	प्रातः 11:15 बजे
7	• उत्तर प्रदेश में आशाओं की जिम्मेदारियों पर संभाषण–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोक नृत्य, लघु नाटक प्रहसन)–आशाओं द्वारा • एन.एच.एम. के अन्तर्गत इस वर्ष आशाओं हेतु योजनाओं व प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में जानकारी–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • जादूगर का प्रदर्शन • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं जननी सुरक्षा योजना	प्रातः 12:00–4:00 बजे तक

	पर चर्चा–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर चर्चा–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • लोकगीत गायन/वाद–विवाद प्रतियोगिता,क्विज आदि • आशाओं के लिये (कार्यक्रम के दौरान समय पर भोजन अच्छे कैटरर के माध्यम से हाईजैनिक पौष्टिक भोजन के डिब्बों का वितरण)	
8	कार्यक्रम का समापन	4:00 बजे तक

*** सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फिल्मी गानों को न गाया जाय और न ही उन पर नृत्य किया जाय। शालीनता का पालन किया जाय। केवल स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार–प्रसार वाले लोक गीत, नाटक, बिरहा, रागनी, आल्हा, सोहर, जादू का प्रदर्शन, कठपुतली आदि का प्रदर्शन अनुमन्य होंगे।**

अनुश्रवण–

राज्य स्तर के अधिकारी, राज्य आशा मेंटरिंग समूह के सदस्य एवं मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय संयुक्त निदेशक तथा मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यक्रम का अनुश्रवण करायें।

जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर अपरान्ह 12:00 बजे व 4:00 बजे आशाओं एवं संगिनियों के पंजीकरण रजिस्टर में आशाओं एवं संगिनियों की संख्या नोट कर मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को एस0एम0एस0 द्वारा सूचित करेंगे। मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक सायं 7:00 बजे संकलित सूचना ई–मेल के माध्यम से महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस को अवगत करायेंगे। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आशा संगिनी सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगी तो इसकी सूचना पूर्व में जनपद स्तर पर, मण्डल स्तर पर एवं राज्य स्तर पर अवश्य दें दे। समस्त जनपद प्रत्येक दशा में आशा सम्मेलन की रिपोर्ट कार्यक्रमों के अगले दिन निम्न प्रारूप पर अवश्य प्रेषित करें।

आशा सम्मेलन रिपोर्टिंग प्रपत्र		
1	जनपद का नाम	
2	जनपद में कुल आशाओं की संख्या	
3	प्रतिभाग करने वाली कुल आशाओं की संख्या	
4	प्रतिभाग करने वाली कुल आशाओं का प्रतिशत	
5	अन्य प्रतिभागियों की संख्या	
6	कुल प्रतिभागियों की संख्या	
7	मुख्य अतिथि	
8	जनप्रतिनिधि का नाम व विवरण	
9	मण्डलायुक्त	
10	जिलाधिकारी	
11	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
12	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
13	मुख्य चिकित्साधिकारी	
14	सी0डी0ओ0	
15	जिला पंचायतराज अधिकारी	
16	जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0	

17	जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी	
18	मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक	
19	राज्य स्तरीय अधिकारी/राज्य स्तरीय आशा मेन्टरिंग के सदस्य	
20	अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि	
21	टिप्पणी	

विस्तृत जनपदीय रिपोर्ट जिसमें पुरस्कृत आशाओं के नाम, सम्मेलन के फोटोग्राफ, समाचार पत्र–पत्रिकाओं से प्रकाशित समाचार, फोटोग्राफ सी0डी0 आदि 10 सितम्बर, 2016 तक अवश्य महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस के पास उपलब्ध करायेंगे जिससे इन फोटोग्राफ आदि को यू0पी0 एन0आर0एच0एम0 की बेवसाइड पर अपलोड किया जा सके।

भवदीय

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./आशा सम्मेलन/2016–17/04 वाल्यूम 2/ 4242-75-11 0/6 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0एच0एम0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपयुक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
11. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डा0 राजेश झा)
महाप्रबन्धक, कम्यु0प्रो0